

26.6.19 छात्रों के अधिवक्ता उपस्थित। विद्यार्थी सं. 1 की ओर से विभागीय प्रकार उपस्थित। विद्यार्थी सं. 2 से 4 के अधिवक्ता उपस्थित। अध्यापक सं. 5 की तलफेक हेतु अधिवक्ता अफिलॉट द्वारा माफिक आदेश समन तलफेकाना प्रेषा नही किये है, जबकि पूर्व में परीक्षा अवसर प्रदान किये जा चुके है। छात्रों का यह छात्रना पत्र न्यायालय आदेश की अपालना एवं अदालत पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रभावली निर्णय होकर नमस्कार के कान ही व दाखिल दफ्तर ही।

जिला कलेक्टर
बल्लभ